सत्र प्र. क्र. 191/2024
साक्षी क्र. 2 सुखचंद नेताम
शासन वि. रोहित स्वर्णकार
II-157
C.J.

Witness no. ......**02**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

the.**03.09.2025**..day of.................Witness's apparent age...........**37 वर्ष**

States on affirmation.......**शपथपूर्वक** ....My name is.......**सुखचंद नेताम**

Son of.....**स्व. कमल सिंह** ......occupation....... **आरक्षक क्र. 2537**

addres....... **थाना धरसींवा, सिलियारी चौकी, जिला–रायपुर छ.ग.**

समय 13.15 बजे

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री बसंत गोंड़ अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1– मैं दिसंबर 2021 से दिनांक 15.07.2025 तक थाना गंज में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 25.05.2024 को थाना के दूरभाष के जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि स्टेशन चौक गेट नं. 2 के पास रायपुर में एक व्यक्ति काले रंग के बैग में अवैध रुप से पिस्टल रखा है, की सूचना पर थाना प्रभारी ने आरक्षक क्र. 1837 महेश महानंद एवं मेरे समक्ष मुखबीर पंचनामा तैयार किया था। वह मुखबीर पंचनामा **प्र.पी. 02** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राजवीर सिंह

2– मुझे नहीं मालूम कि मुखबीर पंचनामा प्र.पी. 02 तैयार करने के पहले इस बारे में रोजनामचा सान्हा में इंद्राज किया गया था या नहीं। यह कहना गलत है कि वरिष्ठ

सत्र प्र. क्र. 191/2024
साक्षी क्र. 2 सुखचंद नेताम
शासन वि. रोहित स्वर्णकार
II-157
C.J.

Witness no. ......02..........for ....Prosecution......................Deposition taken

अधिकारी के कहने पर मैंने मुखबीर पंचनामा प्र.पी. 02 पर अपना हस्ताक्षर कर दिया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमित बेनर्जी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रोहित स्वर्णकार, मुकेश, देवेंद्र और पप्पू सिंह

3– यह कहना सही है कि प्र.पी. 02 की मुखबीर सूचना में मुझे किसी भी तथाकथित आरोपी के रंग, रुप, हुलिया, कद काठी एवं किस रंग के कपड़े पहना है, इसके संबंध में कोई जानकारी थाना प्रभारी को नहीं मिली थी। यह कहना सही है कि प्र.पी. 02 का मुखबीर सूचना पत्र जब टाईप हो रहा था, तब मैं उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि प्र.पी. 02 का पत्र किसके द्वारा एवं कब टाईप कराया गया, मुझे जानकारी नहीं है।

समय 13.09 बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

MANOJ KUMAR SINGH THAKUR
Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH THAKUR

(मनोज कुमार सिंह ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.)
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।

MANOJ KUMAR SINGH THAKUR
Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH THAKUR

(मनोज कुमार सिंह ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.)
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर........................